राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

कमांक प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2019/एम–2034 जयपुर, दिनांक : 26.11.2019

डा. मनीष चाहर,
चिकित्सा अधिकारी (दन्त)।

विषयः– **मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण चलपीठ, जोधपुर में दायर अपील संख्या 548/2019 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2019 की पालना में आपके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के निस्तारण के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कि विभाग के आदेश दिनांक 29.09.2019 के कम संख्या 257 के द्वारा आपका जिला चिकित्सालय, चुरू से सीएचसी सांचोर, जालौर में स्थानान्तरण किया गया है। उक्त आदेशों के विरूद्ध आपने मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण चलपीठ, जोधपुर अपील संख्या 548/2019 दायर की। मा. अधिकरण ने दिनांक 24.10.2019 को आदेश पारित कर आपको विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये है। आपने मा. अधिकरण के निर्देशानुसार विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि :–

1. प्रार्थी की पत्नी श्रीमती ममता राजकीय सेवा में अध्यापिका के पद पर वर्तमान में राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, डाबला रोड, चुरू में पदस्थापित है। चुरू जिला मुख्यालय से सांचोर की दूरी करीब 600 किमी है। प्रार्थी की पत्नी के राजकीय सेवा में चुरू में पदस्थापित होने के कारण प्रार्थी के परिवार सहित सांचोर में रहने की किसी भी प्रकार से स्थिति की संभावना नहीं है।
2. प्रार्थी के माता–पिता भी वृद्धावस्था में है, उनकी देखभाल, सार संभाल आदि करने की पूरी जिम्मेदारी सामाजिक एवं नैतिक रूप से उनकी है।
3. प्रार्थी के स्थान पर अन्य किसी चिकित्सक का पदस्थापन नहीं किया गया है।

आपके अभ्यावेदन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। जालौर जिले में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए आपका अभ्यावेदन निरस्त करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने नवीन पदस्थापन स्थान सीएचसी सांचोर, जालौर में अविलम्ब कार्यग्रहण करते हुए इस विभाग को अवगत करावें।

भवदीय,

–Sd/–
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय को आई. डी. कमांक 4071 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2– विशिष्ठ सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदय।
3– निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4– निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ।
5– संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएें, जोन, बीकानेर/जोधपुर
6– प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, चुरू
7– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर जालौर
8– संबंधित अधिकारी
9– रक्षित पत्रावली

26/11/19
शासन सहायक सचिव

10/12/2019

राजस्थान सरकार रजिस्टर्ड

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान,जयपुर।

कमांकः ई/राजप/चि0अ0/एम–2034/2019/ 1265 **दिनांक :**10/ 12/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग,राजस्थान जयपुर को उनके पत्राक प.1(1) चिस्वा–2/2019/एम–2034 दिनांक 26.11.2019 के कम में ।
2. संयुक्त निदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,जोन–बीकानेर/जोधपुर ।
3. उप विधी परामर्शी मुख्यालय को माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण चल पीठ जोधपुर में दायर अपील संख्या 548/2019 में पारित आदेश दिनाक 24.10.2019 की पालना में प्रस्तुत अभ्यावेदन के कम में ।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालौर ।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,जिला चिकित्सालय चुरू ।
6. डॉ0 मनीष चाहर (दन्त) चिकित्सा अधिकारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी ।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को सम्बन्धित अधिकारियों की मेल आईडी पर अपलोड करावे ।
8. आदेश/रक्षित /निजी पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर ।